राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1136/2010/जयपुर

मै. संगम गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन,
134, इंद्रा बाजार, जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–द्वितीय, वृत–प्रथम, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एस.के.जैन, कर सलाहकार .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.11.2016

निर्णय

1. अपीलकर्ता ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के अपील संख्या 1539/अपील्स–II/आरएसटी/जयपुर/एच/2000–01 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2010 के विरूद्व प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–प्रथम, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2001 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 78(5) व 78(12) के तहत कायम मांग राशि रूपये 35,706/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2000 को उक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी के गोदाम का निरीक्षण ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर श्री चन्द्रप्रकाश की उपस्थिति में किया गया। वक्त जांच 48 नग कर योग्य माल ऐसा पाया गया जिसके संबंध में कोई बिल, बिल्टी अथवा चालान वक्त जांच अपीलार्थी उपलब्ध नहीं करा सका और न ही समय दिये जाने पर ये दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश किये गये। इस संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यहारी को कई मर्तबा नोटिस जारी किये गये किन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन किया जाना मानकर धारा 78(12) के तहत कर मय सरचार्ज रूपये 8856/– आरोपित किया गया है तथा धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 26,850/– आरोपित की गयी है, उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.03.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

लगातार..... 2

3. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी का कार्य केवल मात्र भाड़े पर माल बुक किया जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचाने का होता है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में धारा 78(5) का गलत रूप से मामला बनाया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोदाम में वक्त जांच 48 नग कर योग्य माल पाया गया, किन्तु इसके समर्थन में कोई बिल–बिल्टी अथवा चालान न तो वक्त जांच और न ही बाद में पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए अनेक बार कारण बताओ नोटिस जारी किये गये परन्तु उनके द्वारा न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, ना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और ना ही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को 6–7 माह तक लगातार कई नोटिस जारी किये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा बिल–बिल्टी प्रस्तुत नहीं किये गए। अपील स्तर पर कुछ बिलों की प्रतियां प्रस्तुत किया जाना ना तो स्वीकार्य है एवं ना ही इनसे प्रावधानों की पालना होना माना जा सकता है। बल्कि अपील स्तर पर बिलों की प्रतियां प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से व्यवहारी की बाद की सोच का परिणाम है, जो कि शास्ति से बचने हेतु एक प्रयास मात्र है।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के यहां जो माल पाया गया उसका उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, जिससे कारण बताओ नोटिसों की पालना में भी उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) एवं 78(12) के तहत शास्ति व वैट का आरोपण किये जाने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गयी है।

7. फलतः अपीलार्थी–फर्म द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 12.03.2010 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष